विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ कौन सी हैं?

दहेज हत्या का यह मामला 'समाज के विरुद्ध अपराध' की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक/फ़ौजदारी कानून का उल्लंघन है। फ़ौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फ़ौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें।

What are the Different Branches of the Legal System?

The above case of the dowry death falls within what is considered a 'crime against society' and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in Chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law.

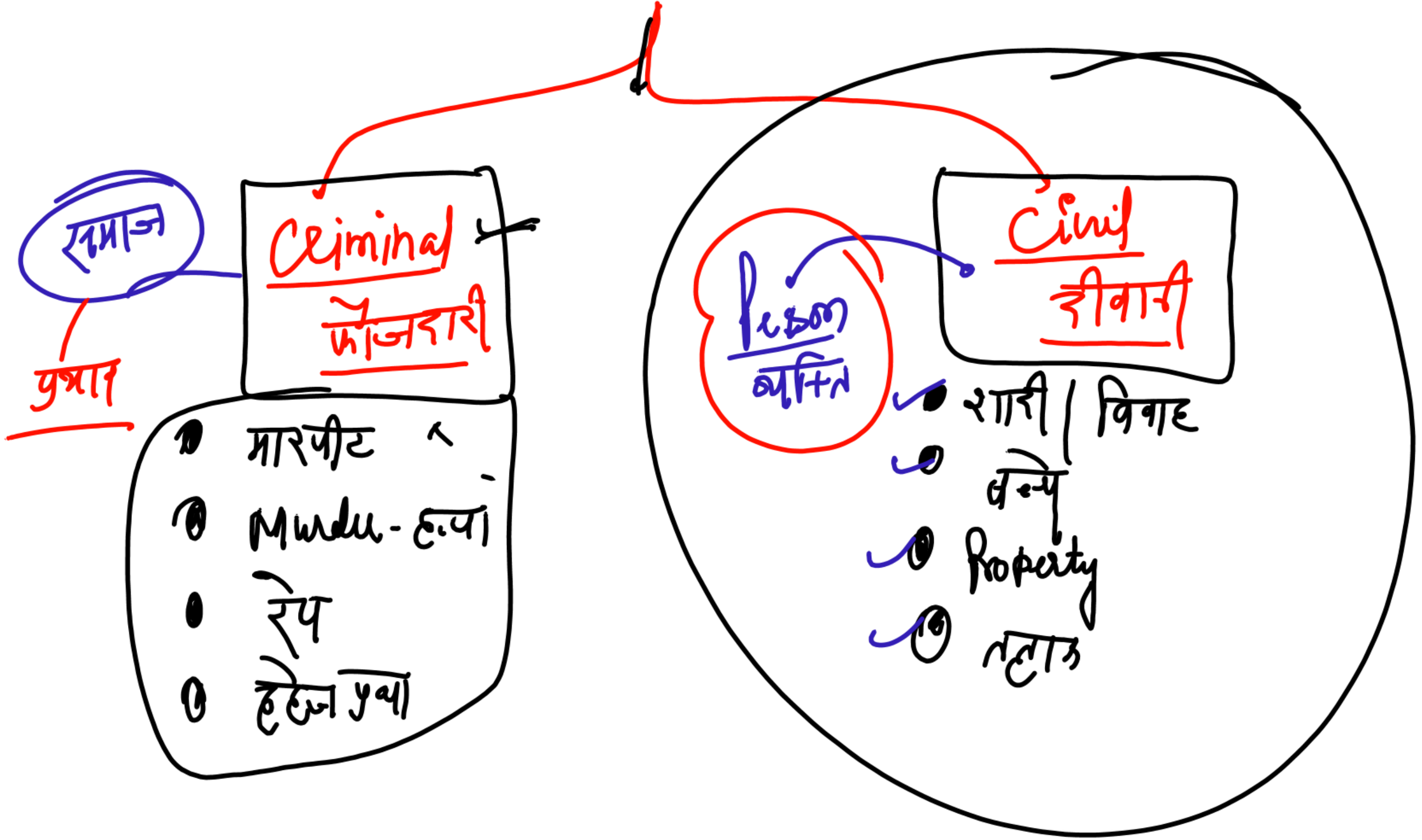

समाज
Criminal
फौजदारी
मारपीट
Murder - हत्या
रेप
Civil
दीवानी
Person
व्यक्ति
शादी | विवाह
Property
तलाक

क्र.	फौजदारी कानून	दीवानी कानून
1.	ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि।	इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद।
2.	इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है।	प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराये से संबंधित है तो मकान मालिक या किरायेदार मुकदमा दायर कर सकता है।
3.	अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।	अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किरायेदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए।

No.	Criminal Law	Civil Law
1.	Deals with conduct or acts that the law defines as offences. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder.	Deals with any harm or injury to rights of individuals. For example, disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases.
2.	It usually begins with the lodging of an First Information Report (FIR) with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court.	A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case.
3.	If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined.	The court gives the specific relief asked for. For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid.

फ़ौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें-

उल्लंघन का विवरण	कानून की शाखा	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं।		
एक किरायेदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ़ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है।		

Fill in the table given below based on what you have understood about criminal and civil law.

Description of Violation	Branch of Law	Procedure to be Followed
A group of girls are persistently harassed by a group of boys while walking to school.		
A tenant who is being forced to move out files a case in court against the landlord.		

क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है?

सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय माँगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा

Does Everyone Have Access to the Courts?

In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our Fundamental Rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be

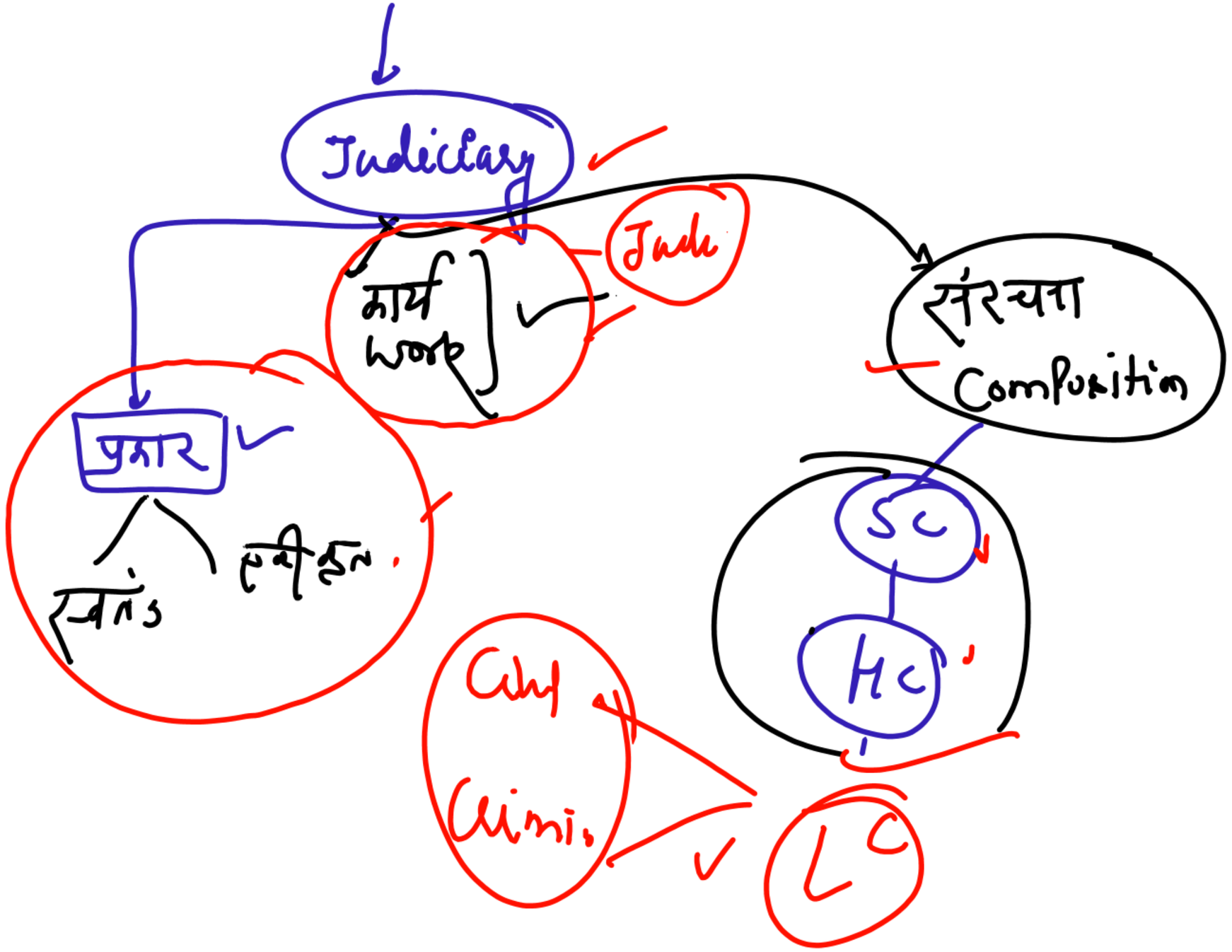

Judiciary
प्रकार
एकीकृत
कार्य
work
संरचना
Composition
SC
HC
LC
Civil
Crimi.

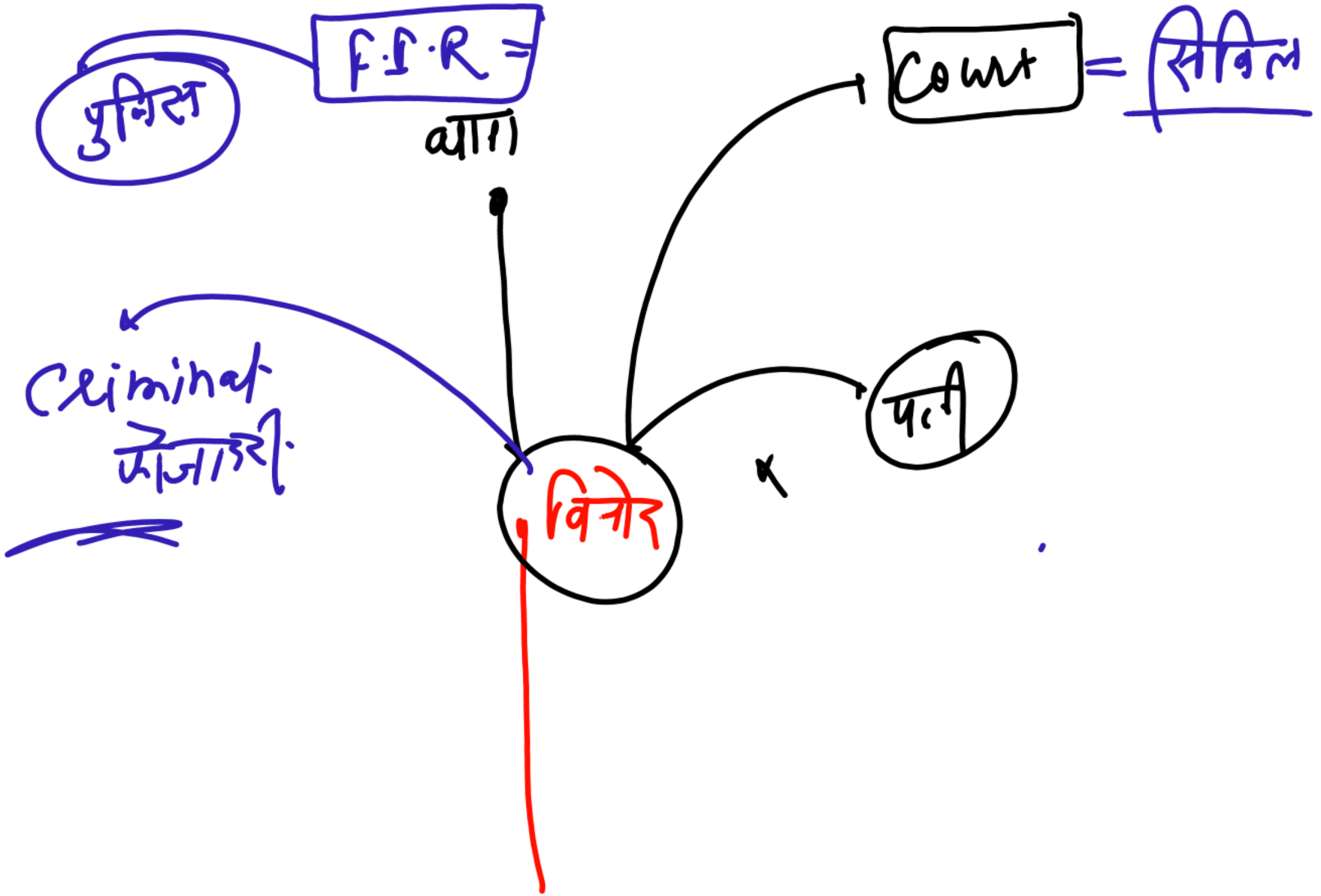
पुलिस
F.I.R =
वगैरा
Court = सिविल
Criminal
फौजदारी
विनोद
पत्नी

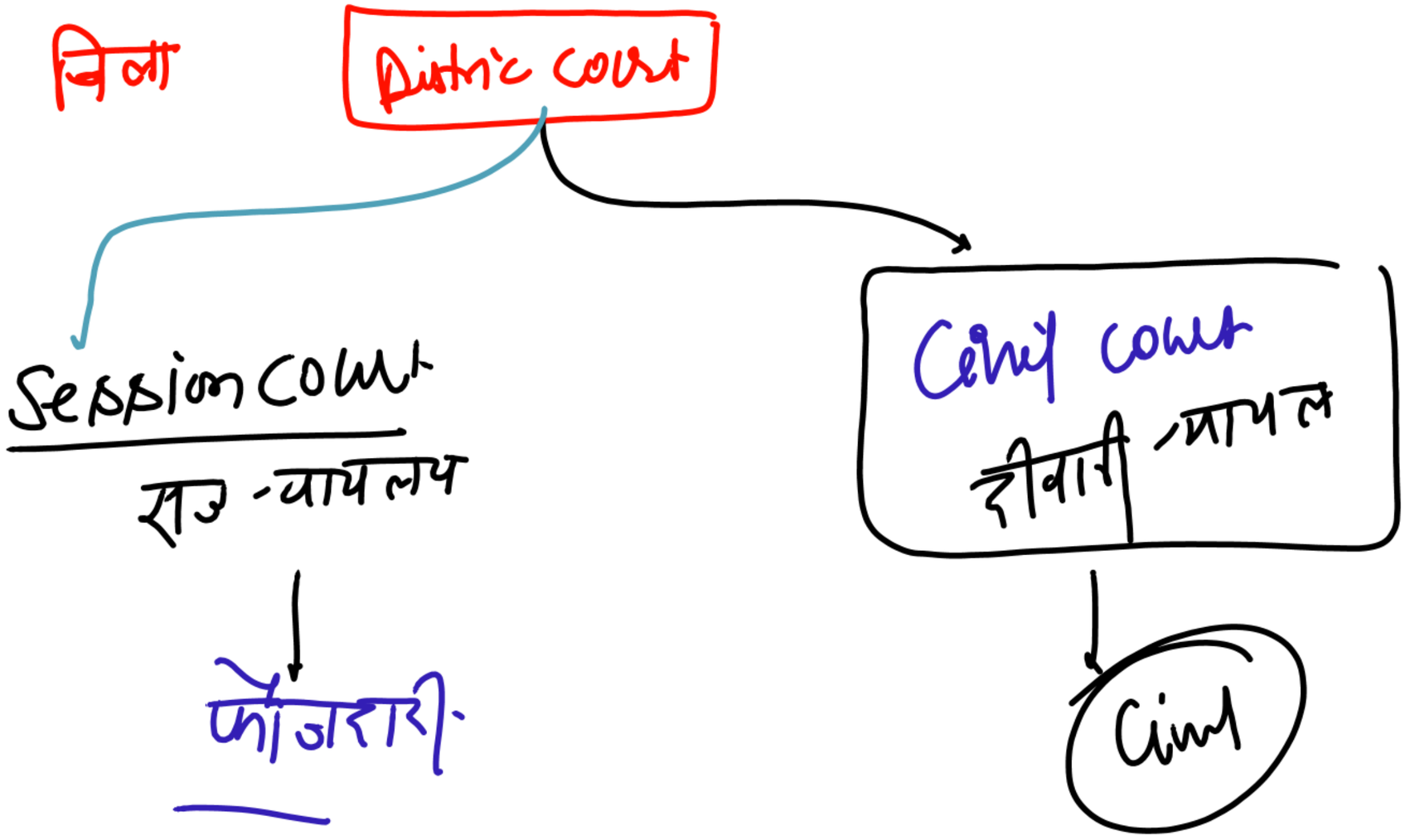
जिला
District court
Session court
सत्र न्यायालय
फौजदारी
Civil court
दीवानी न्यायालय
Civil

सकता है। अदालत की सेवाएँ सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागज़ी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना-लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मज़दूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ़ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है।

done. While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (पी.आई.एल.) की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी

In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of Public Interest Litigation or PIL to increase access to justice. It allowed any individual or organisation to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated.

प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार (टेलीग्राम) को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मज़दूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सज़ा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था।

The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded labourers from inhuman work conditions; and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete.

क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन (मिड-डे मील) दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें।

Did you know that the mid-day meal that children now receive in government and government-aided schools is because of a PIL? See the photos on the right and read the text below to understand how this came about.

1

2

3

4

चित्र 1 : वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था।

चित्र 2 : सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूँ चूहों की भेंट चढ़ गया था।

चित्र 3 : इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं हैं। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है।

चित्र 4 : लिहाज़ा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोज़गार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के ज़रिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहार का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दो खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया।

Photo 1. In 2001, the drought in Rajasthan and Orissa meant that millions faced an acute shortage of food.

Photo 2. Meanwhile the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats.

Photo 3. In this situation of 'hunger amidst plenty' an organisation called the People's Union of Civil Liberties or PUCL filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental Right to Life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the Right to Food. The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the State had a duty to provide food to all.

Photo 4. It, therefore, directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops, and to provide mid-day meals to children. It also appointed two Food Commissioners to report on the implementation of government schemes.

आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना (मिड-डे मील) सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

For the common person, access to courts is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the Fundamental Rights of citizens and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the Right to Life to include the Right to Food. They, therefore, ordered the State to take certain steps to provide food for all including the mid-day meal scheme.

लेकिन अदालत के कुछ फ़ैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों/झुग्गी-झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फ़ैसले पुराने फ़ैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फ़ैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है

However, there are also court judgments that people believe work against the best interests of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments.

ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण फ़ैसला दिया। इस फ़ैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फ़ैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा।

अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। 'जीवन' का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्त्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता।

किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी-बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे-मोटे काम-धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोज़गार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएँगे।

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट/पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय) विनियमन अधिनियम, 2014 के बारे में पता करें।

The judgment of the Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation established the Right to Livelihood as part of the Right to Life. The following excerpts from the judgment point to the ways in which the judges linked the issue of the Right to Life to that of livelihood:

The sweep of the Right to Life, conferred by Article 21 is wide and far reaching. 'Life' means something more than mere animal existence. It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as, for example, by the imposition and execution of the death sentence, except according to procedure established by law. That is but one aspect of the Right to Life. An equally important facet of that right is the right to livelihood because no person can live without the means of living, that is, the means of livelihood.

That the eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood, is a proposition which does not have to be established in each individual case .... In the present case that facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and on pavements because they have small jobs to nurse in the city and for them there is nowhere else to live. They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place of work and to loose the pavement or the slum is to loose the job. The conclusion therefore is that the eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life.

Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation (1985) 3 SCC 545

Find out about the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

जबकि पहले वाले फ़ैसलों (जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फ़ैसला) में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था।

न्याय तक आम लोगों की पहुँच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अकसर यह कहा जाता है कि 'इंसाफ में देरी यानी इंसाफ़ का क़त्ल।'

While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgments (like the 1985 Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation) had tried to protect the livelihoods of slum dwellers.

Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase 'justice delayed is justice denied' is often used to characterise this extended time period that courts take.

इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉंस्टेब्युलरी (पी.ए.सी.) के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में, 31 अक्तूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। (24 मई 2007 को प्रेस क्लब, लखनऊ में लिया गया फोटो।)

The above photo shows the family members of some of the 43 Muslims of Hashimpura, Meerut, killed on 22 May 1987. These families fought for justice for over 31 years. Due to long delay in the commencement of the trial, the Supreme Court in September 2002 transferred the case from the State of Uttar Pradesh to Delhi. 19 Provincial Armed Constabulary (PAC) men faced criminal prosecution for alleged murder and other offences. By 2007, only three prosecution witnesses had been examined. Finally, the Delhi High Court convicted the accused persons on 31 October 2018. (photo was taken at Press Club, Lucknow, 24 May 2007)

भारत में न्यायधीशों की संख्या				
क्रम*	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
क	उच्चतम न्यायालय	34	34	0
ख	उच्च न्यायालय	1,079	655	424
ग	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	22,644	17,509	5,135

* *क और ख (1 नवंबर 2019 की स्थिति)*

Number of Judges in India				
No.*	Name of the Court	Sanctioned strength	Working strength	Vacancies
A	Supreme Court	34	34	0
B	High Courts	1,079	655	424
C	District and Subordinate Courts	22,644	17,509	5,135

* *Data in A and B (as on 1 November 2019)*

इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिलकुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है।

However, inspite of this there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature as well as in protecting the Fundamental Rights of citizens. The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy.

न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभाव की चर्चा करें।

Discuss the impact of the shortage of judges on the delivery of justice to the litigants.

अभ्यास

1. आप पढ़ चुके हैं कि 'कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना' न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्त्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है?

2. अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है?

3. नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फ़ैसला दिया था? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें।

Exercises

1. You read that one of the main functions of the judiciary is 'upholding the law and Enforcing Fundamental Rights'. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function?

2. Re-read the list of Fundamental Rights provided in Chapter 1. How do you think the Right to Constitutional Remedies connects to the idea of judicial review?

3. In the following illustration, fill in each tier with the judgments given by the various courts in the Sudha Goel case. Check your responses with others in class.

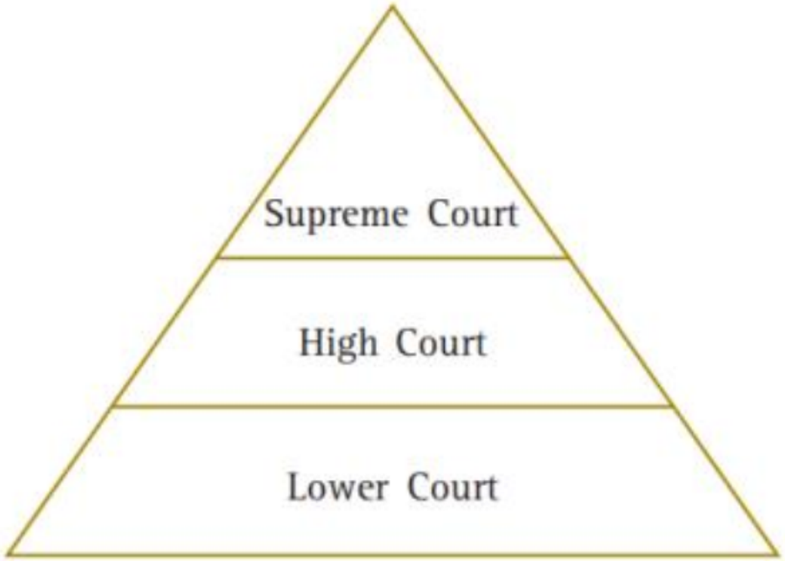

4. सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए।

(क) आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फ़ैसले से सहमत नहीं थे।

(ख) वे सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के खिलाफ़ उच्च न्यायालय में चले गए।

(ग) अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं।

4. Keeping the Sudha Goel case in mind, tick the sentences that are true and correct the ones that are false.

(a) The accused took the case to the High Court because they were unhappy with the decision of the Trial Court.

(b) They went to the High Court after the Supreme Court had given its decision.

(c) If they do not like the Supreme Court verdict, the accused can go back again to the Trial Court.

5. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज़ से एक महत्त्वपूर्ण कदम थी?

6. ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फ़ैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फ़ैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था?

7. 'इंसाफ़ में देरी यानी इंसाफ़ का क़त्ल' इस विषय पर एक कहानी बनाइए।

8. अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए।

5. Why do you think the introduction of Public Interest Litigation (PIL) in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all?

6. Re-read excerpts from the judgment on the *Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation* case. Now write in your own words what the judges meant when they said that the Right to Livelihood was part of the Right to Life.

7. Write a story around the theme, 'Justice delayed is justice denied'.

8. Make sentences with each of the glossary words given on the next page.

9. यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है।

इस पोस्टर को पढ़ कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए।

इस पोस्टर में कहा गया है कि "भूखे पेट भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा!!" इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिला कर देखिए।

9. The following is a poster made by the Right to Food campaign.

Read this poster and list the duties of the government to uphold the Right to Food.

How does the phrase "Hungry stomachs, overflowing godowns! We will not accept it!!" used in the poster relate to the photo essay on the Right to Food on page 61?

सतत विकास लक्ष्य 2: भूखमरी समाप्त करना
www.in.undp.org

Sustainable Development Goal (SDG)
www.in.undp.org

शब्द संकलन

बरी करना- जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ़ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहा जाता है।

अपील करना- निचली अदालत के फ़ैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है।

मुआवज़ा- किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवज़ा कहा जाता है।

बेदखली- अभी लोग जिस ज़मीन/मकानों में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाएगा।

उल्लंघन- किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा गया है।

GLOSSARY

Acquit: This refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which he/she was tried for by the court.

To Appeal: In the context of this chapter this refers to a petition filed before a higher court to hear a case that has already been decided by a lower court.

Compensation: In the context of this chapter this refers to money given to make amends for an injury or a loss.

Eviction: In the context of this chapter this refers to the removal of persons from land/ homes that they are currently living in.

Violation: In the context of this chapter it refers both to the act of breaking a law as well as to the breach or infringement of Fundamental Rights.

धन्यवाद